

अमित सिंह नेगी,
प्रनारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रपत्र (3)

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 26 नवम्बर, 2013

विषय:- जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत विभिन्न 28 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में अनुसूचित जनजाति उपयोजनान्तर्गत विभिन्न 28 कार्यों की प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु, संलग्न विवरणानुसार, उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 192.75 किमी0 + 02 सेतु तथा लागत ₹ 1329.77 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1206.94 लाख (₹ बारह करोड़ छः लाख चौरानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 28 कार्य हेतु ₹ 2.80 लाख (₹ दो लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोव्हायरमेन्ट रुल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

M. H.

photocopy attached

(30 वां डी0 भदर)
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
राजिया जिला-देहरादून

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो भितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान सं०-31-लेखापरीक्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -796 जनजातिय क्षेत्र उपयोजना-01 नया निर्माण कार्य-00-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 568/XXVII(2)/2013 दि०: 21 नवम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- 6668 (1)/111(2)/13-37(प्र०आ०)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो०नि०वि० पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नयम् वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड बुक।

Photocopy Attached
(30 वीं डि० भट्ट)
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
पौड़ी जिला-देहरादून

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-494/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में मल्लेधा दुणवा से लोहरुवा, धारिया होते हुए क्वानू मीनस तक मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	58.88 [₹ 46.80 + ₹ 12.08 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-498/2012 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में उपरोली से क्यावा काण्डी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	38.70 [₹ 29.25 + ₹ 9.45 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-518/2012 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में हाजा दसउ मोटर मार्ग से डाडुवा कितरौली होते हुये बारनाधार तक मोटर मार्ग का निर्माण।	15.00	111.45 [₹ 87.25 + ₹ 23.70 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-489/2012 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में फेडुलानी से कोथी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	29.72 [₹ 23.40 + ₹ 6.32 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-467/2012 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में मागटी से रागाल्ता मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	7.00	1.19	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-470/2012 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में दावा पुल के पुराड-शिंचाड-जोगियों मोटर मार्ग का डामरीकरण।	21.75	3.69	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-507/2012 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में हयो टगरी से कैतरी तक हलका वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन।	3.00	4.35	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-484/2012 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में क्वासी से जोगियों तक मोटर मार्ग का निर्माण।	5.00	37.15 [₹ 29.25 + ₹ 7.90 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-487/2012 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में क्वासी से बिजनु होते हुए सहिया तक मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	74.30 [₹ 58.50 + ₹ 15.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
10	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-515/2012 जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र-चकराता में ग्राम कुसियों-खाती-कचटा से यमुना नदी पर पुल से यमनोत्री मार्ग पर स्थित ग्राम मरोड़ तक विस्तार।	15.00 + 72 mt	116.16 [₹ 93.51 + ₹ 22.65 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
11	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-791/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में समरजैस मोटर मार्ग के कि०मी० 18 से ग्राम मैसासा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	4.00	29.44 [₹ 23.40 + ₹ 6.04 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
12	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार (समरजैस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5.00	36.80 [₹ 29.25 + ₹ 7.55 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10

24, 25, 26

मा०

photocopy attached

(ड० वी०डी० भट्ट)
सहायक अभियन्ता
स्थाई खण्ड लो०नि०वि०
देहरादून

शासनादेश संख्या:- 6668 / 111(2) / 13-37(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 26 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

24	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-806/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में दातनू बडनू मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से सिलाया छानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	29.44 [23.40 Lacs + 6.04 Lacs उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
25	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-807/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में सहिया, पानुवा मोटर मार्ग से ग्राम बोरी खताल मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5.00	36.80 [29.25 Lacs + 7.55 Lacs उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
26	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-488/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में लाखामण्डल-नाडा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	18.00	133.74 [105.30 Lacs + 28.44 Lacs उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
27	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-513/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता में पेडियापुल-रेपसना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	37.15 [29.25 Lacs + 7.90 Lacs उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
28	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-512/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के अन्तर्गत कोटी बावर मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	2.00	14.86 [11.70 Lacs + 3.16 Lacs उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
योग:-		192.75 + 02	1206.94 [957.24 Lacs + 249.70 Lacs उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	2.80

(कुल रु० दो लाख अस्सी हजार मात्र)

Photocopy Attached

e

(इ० वी०डी० भट्ट)

सहायक अभियन्ता

अरुण खण्ड को० गि० वि०

राहिया जिला-देहरादून

माहिमा

(महिमा)

अनु सचिव